निर्णय कन्हैयालाल श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 36/2019 दावा
दायरा दिनांक 12.4.2019
निर्णय दिनांक :- 28.9.2021

<u>उनवान</u>

राजेन्द्र कुमार पुत्र बहादुरलाल जाति मीना निवासी उम्मेदगंज तह. बारां

<u>बनाम</u>

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA
निर्णय दिनांक :- 28-9-2021

अभिभाषक वादी सार वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA विरुद्ध प्रति वादी के न्याया. मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम उम्मेदगंज तह. बारां में आराजी ख.नं. 238 रकबा 0.67 हे., ख.नं. 239 रकबा 0.94 हे. कुल किता 2 रकबा 1.61 हे. स्थित है उक्त आराजी वादी के खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी को वादी के पिता बहादुरलाल द्वारा वादी की नाबा. अवस्था मे जरिये विक्रय पत्र दिनांक 3.7.1984 को खरीद किया था किन्तु वादी के पिता द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करवाने व लिखवाते समय वादी का (घर का नाम तोलाराम) मुंहबोला नाम तोलाराम पुत्र बहादुर कौम मीना दर्ज करवा दिया था इसलिए वादी के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम तोलाराम पुत्र बहादुर कौम मीना निवासी उम्मेदगंज दर्ज हो गया था। जबकि वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र बहादुरलाल जाति मीना निवासी उम्मेदगंज तह. बारां है जो वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों मे दर्ज है। कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे राजेन्द्र कुमार मीना के स्थान पर [illegible] है वादी उक्त आराजीयात पर के.सी.सी. बनवाने व [illegible] से वंचित हो रहा है। तथा बैंक द्वारा वादी का [illegible] आधार कार्ड, पहचान पत्र [illegible] अन्य दस्तावेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 2

Scanned with CamScanner

आदि से मिलान ना होने के कारण के.सी.सी. बनाने से साफ मना कर दिया इस कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए न्यायालय में वाद पत्र में अंकित आराजी वर्तमान खाता नं. 38 40 में वर्णित ख.नं. 238 रकबा 0.67 हे० ख.नं. 239 रकबा 0.94 हे. कुल किता 2 रकबा 1.61 हे. वाके मौजा उम्मेदगंज तह० बारां के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में वादी का नाम सोजीराम पुत्र बहादुर लाल कौम मीना नि० उम्मेदगंज तह० बारां के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र बहादुर लाल मीना दर्ज करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी ने दिनांक 27-3-2019 को प्रति वादी के राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सोजीराम के स्थान पर आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज के अनुसार राजेन्द्र कुमार दर्ज करने की कहने पर व प्रति वादी द्वारा मना करने पर वाद कारण दिनांक 27-3-2019 को बारां में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि. कर प्रति वादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति वादी द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब दिनांक 7.9.2021 को बन्द कर दिया गया। ~~साक्ष्य~~ वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी मौजा उम्मेदगंज सम्वत 2070 फोटो प्रति आधार कार्ड वादी राजेन्द्र कुमार का, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 30.7.2004 पेश की गयी साथ वादी ने राजेन्द्र कुमार का शपथ पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके मौजा उम्मेदगंज तह० बारां स्थित है। वादी के पिता द्वारा विवादित आराजी क्रय की गयी थी। विवादित आराजी क्रय करने के बाद रजिस्ट्री कराते समय वादी का नाम सोजीराम दर्ज करा दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार मीना पुत्र ~~सोजीराम~~ बहादुर लाल जाति मीना था। वादी को नाम गलत होने के कारण वादी अपना नाम [illegible] है वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा उम्मेदगंज [illegible] सम्वत 2070 के अनुसार सोजीराम पुत्र बहादुरलाल [illegible] में दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार मीना, परिवार राशन कार्ड राजेन्द्र कुमार पुत्र

लगातार-3

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहादुरलाल दर्ज है जबकि वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.7.84 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता सेठ गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी कलमण्डा तह. बारां द्वारा तोलाराम पुत्र बहादुरलाल जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज बारां का क्रेता श्री बहादुरलाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा दर्ज किया जाना पाया है इससे यह साबित होता है कि विक्रय पत्र तोलाराम पुत्र बहादुरलाल के नाम से करवाया था। आधार कार्ड व राशन कार्ड में राजेन्द्र कुमार मीणा दर्ज है इससे यह तथ्य सामने आते है कि राजेन्द्र कुमार व तोलाराम दोनो अलग-अलग नाम होने से दो व्यक्ति भी हो सकते है यह कैसे कह सकते है कि तोलाराम व राजेन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति है वादी द्वारा मात्र आधार कार्ड व राशन कार्ड की फोटो प्रति पेश की है ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि तोलाराम व राजेन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति है यदि वादी का नाम विक्रय पत्र मे गलत दर्ज करवा दिया था तो वादी 1984 के बाद 37 वर्ष समाप्त होने पर वादी द्वारा अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया है। 37 वर्ष तक वादी द्वारा अपना नाम सही क्यों नहीं करवाया गया। क्या वादी को अभी अपने नाम की गलती का पता लगा 1984 के बाद वादी को क्यों पता नहीं चला। इससे यही साबित होता है कि तोलाराम व राजेन्द्र कुमार मीणा दोनो अलग-अलग व्यक्ति है वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

दिवांशु शर्मा
उप खण्ड अधिकारी
RAS
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारा (राज.)

डिक्री

...क्षा 36/19	धारा अंतर्गत 88, 89	निर्णय दिनांक 28.9.21
...क्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री सुरेन्द्र सिंह मीणा		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

राजेन्द्र कुमार पुत्र बहादुरलाल जाति मीना निवासी उम्मेदगंज तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.9.21 को निर्गत किया गया।

(मुहर: ... बारां (राज.))

हस्ताक्षर
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner